प्रेस विज्ञप्ति
06.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने माननीय एमएसजे न्यायालय, हैदराबाद में मेसर्स साहती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के पूर्व निदेशक और बिक्री एवं विपणन प्रमुख बी. लक्ष्मीनारायण और संधू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.01.2026 को इसका संज्ञान लिया।

तेलंगाना पुलिस द्वारा मेसर्स सिवीपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इन कंपनियों पर विश्व स्तरीय आवासीय गेटेड समुदाय के निर्माण के लिए "प्री-लॉन्च ऑफर" का विज्ञापन करने और संभावित खरीदारों से भारी रकम वसूलने का आरोप था। हालांकि, कंपनी ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में विफल रही और न ही उनकी रकम वापस किया , जिससे उन्होंने उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया। इसके बाद, मेसर्स सिवीपीएल और समूह की अन्य कंपनियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों के आधार पर कई अन्य एफआईआर दर्ज की गईं। फ्लैट/विला सौंपने का वादा किए गए 700 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

ईडी की जांच में पता चला कि एसआईवीपीएल के पास आवश्यक आरईआरए/एचएमडीए अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धनराशि विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी और नकद में भी एकत्र की गई थी। आरोपियों ने एस आईवीपीएल की अवैध रूप से शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के माध्यम से 800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र की और आवश्यक अनुमतियों/अनुमोदनों के बिना इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने से जनता को धोखा दिया। उन्होंने खरीदारों से बड़ी मात्रा में नकद राशि एकत्र की, जिसे एस आईवीपीएल के खातों में दर्ज नहीं किया गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य एस आईवीपीएल की धनराशि को छिपाना और उसका गबन करना था। सरवानी एलीट परियोजना में इन्वेंट्री की बिक्री के बहाने खरीदारों से 216.91 करोड़ रुपये से अधिक नकद एकत्र किए गए।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि अपराध से प्राप्त धन को मेसर्स सिवीपीएल के फंड को संबंधित और असंबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को फर्जी बैंकिंग लेनदेन के जरिए ट्रांसफर करके, बिना किसी वास्तविक कारोबार के, गबन किया गया था। इसके अलावा, निकासी के बाद मेसर्स सिवीपीएल के बैंक खातों से नकदी के रूप में अपराध से प्राप्त धन की एक बड़ी राशि का गबन किया गया था। बी. लक्ष्मीनारायण और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भी अपराध से प्राप्त धन को विदेशों में बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, संदू पूर्णचंद्र राव मेसर्स एसआईवीआईपीएल से लगभग 126 करोड़ रुपये के गबन में भी संलिप्त थे, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक नकद राशि शामिल थी। जब फोरेंसिक ऑडिट के बाद यह तथ्य बी. लक्ष्मीनारायण को पता चला, तो उन्होंने धन के गबन के आरोप में संदू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कराईं। बी. लक्ष्मीनारायण द्वारा उक्त एफआईआर वापस लेने के बदले में, संदू पूर्णचंद्र राव ने बी. लक्ष्मीनारायण के साथ एक समझौता किया और 21 अचल संपत्तियों को साहिती समूह के कर्मचारियों और अन्य के नाम पर बी. लक्ष्मीनारायण के लाभकारी स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया। संदू पूर्णचंद्र राव ने अपराध की आय से अपने परिवार के सदस्यों और संस्थाओं के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले के संबंध में विभिन्न परिसरों पर तलाशी ली थी, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे और कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। पीएमएलए जांच के दौरान 169.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया था। इसके अलावा, बी. लक्ष्मीनारायण और संधू पूर्णचंद्र राव को क्रमशः 29.09.2024 और 25.08.2025 को गिरफ्तार किया गया था और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।